Click Here & Upgrade
Expanded Features
Unlimited Pages
PDF Complete

पत्र संख्या–वित्त–7/वि. नि.–1001/2006– 558/वि

झारखण्ड सरकार,
वित्त::विभाग ।
–000–

प्रेषक,

रांची, दिनांक–27.2.06

श्री मुखत्यार सिंह,
प्रधान सचिव
वित्त विभाग ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त

विषय:– रोकड़ बही के संधारण के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में बिहार कोषागार संहिता के नियम–86 की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सभी मौद्रिक संव्यवहारों की रोकड़ बही में तुरन्त दर्ज किया जाना चाहिए तथा प्रतिदिन नियमित रूप से बंद कर शेष निकाल लिया जाना चाहिए । कार्यालय प्रधान/निकासी एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा रोकड़ बही के कुल योग के मिलान से संतुष्ट होकर प्रतिदिन अपना अधाक्षर रोकड़ बही पर अंकित करना आवश्यक है । उक्त संहिता के नियम –306 (अ) के आलोक में प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्त कार्यालयों का निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना आवश्यक है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों द्वारा उक्त नियमों का अनुपालन सही ढंग हो रहा है अथवा नहीं इस संबंध में जाँच कर अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

(मुखत्यार सिंह)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक– 558/वि दिनांक– 27.2.06

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय/ मुख्य सचिव के सचिव/विकास आयुक्त के सचिव/वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(मुखत्यार सिंह)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग ।

Jharkhand Accounts Clerk Association
Abinash Mishra